

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Government of India
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi, 7th November, 2016

G.S.R.(E).—In exercise of the powers conferred by sections 396,398,399, 403 and 404 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Registration Offices and Fees) Second Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.


2. In the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, (herein after refer to as the principle rules), in the principle rules, in rule 8, in sub-rule (12), in clause (b) for sub-clause (iv), the following shall be substituted, namely:-

“(iv) AOC-4 certification by the Chartered Accountant or the Company Secretary or as the case may be by the Cost Accountant, in whole- time practice.”

3. In the principal rules, in the Annexure, in item II, for sub-item (vi), the following sub-items shall be substituted, namely;-

For Application made	Other than OPCs and Small Companies	OPC and Small Companies
“(vi) For allotment of Director Identification Number (DIN) under section 153 of the Act	500	500
(vii) For surrender of Director Identification Number under rule 11(f) of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules 2014	1000	1000”

[F.No. 01/16/2013 CL-V (Pt-I)]


07/21/2016

Amardeep Singh Bhatia, Joint Secretary.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 268(E), dated 31st March, 2014 and subsequently amended by:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 297(E)	28-04-2014
2.	G.S.R. 122(E)	24-02-2015
3.	G.S.R. 438 (E)	29-05-2015
4.	G.S.R. 493(E)	06-05-2016

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक: 7 नवंबर, 2016

सा.का.नि.(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 की धारा 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 396, 398, 399, 403 और 404 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (कार्यालय रजिस्ट्रीकरण एवं फीस) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) द्वितीय संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, मूल नियम के नियम 8 में, उपनियम 12 के खंड (ख) में उपखंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(iv) एओसी-4 प्रमाणीकरण यथास्थिति पूर्णकालिक व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव या लागत लेखाकार द्वारा किया जाएगा।”

3. मूल नियमों में, उपाबंध में, मद II में, उपमद (vi) के स्थान पर निम्नलिखित उपमदें रखी जाएंगी, अर्थात्:

किए गए आवेदन हेतु	एकल व्यक्ति कंपनियों और लघु कंपनियों से अन्यथा	एकल व्यक्ति कंपनी और लघु कंपनियां
-------------------	--	-----------------------------------

“(vi) अधिनियम की धारा 153 के अधीन निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के आबंटन हेतु	500	500
“(vii) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के नियम 11(च) के अधीन निदेशक पहचान संख्या लौटाने हेतु	1000	1000”

[फा.सं.1/16/2013-सीएल-V(भाग-1)]

अमरदीप
07/11/2016

अमरदीप सिंह भाटिया
संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 268(अ), दिनांक 31 मार्च, 2014 को प्रकाशित हुई थी और उसके बाद निम्नलिखित के द्वारा संशोधित की गई:-

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना तारीख
1	सा.का.नि. 297(अ)	28-04-2014
2.	सा.का.नि.122(अ)	24-02-2015
3.	सा.का.नि. 438(अ)	29-05-2015
4.	सा.का.नि. 493(अ)	06-05-2016